फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री करणशर्मा पिता श्री भवानीशंकर शर्मा निवासी बुझडा पोस्ट कुन्दवा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

– अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द

– रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार **पत्रावली संख्या 71/2018**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 10.01.2019 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द जिला राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांक रसद/आरटीआई/सूचना/2018–19/2 दिनांक 01.01.2019 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत 11.10.2018 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत संचालित गतिविधियों के क्रम में सूचना चाही गई थी किन्तु उक्त योजना इस कार्यालय द्वारा संचालित नहीं होकर अन्य विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। उक्त सूचना संबंधित नगर निकाय से संबंधित होने से सूचना का अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत प्राप्त पोस्टल ऑर्डर जमा कर प्राप्त आवेदन पत्र को संबंधित लोक सूचना अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका देवगढ को कार्यालय पत्रांक 3517 दिनांक 26.10.2018 द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया एवं इसकी प्रति प्रार्थी को भी डाक द्वारा उपलब्ध करवाई गई। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं होने से प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई गई है। लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्टानुसार चाही गई वांछित सूचना जिला रसद कार्यालय राजसमन्द की नहीं होकर अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका देवगढ़ की होने से सूचना का अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) में विधिवत अन्तरण करते हुए प्रार्थी को भी सूचित किया गया है। अतः अपील को वर्णित तथ्यों के मध्यनजर इसी स्टेज पर निर्णित की जांती है। साथ ही प्रार्थी अपीलार्थी को सूचित किया जाता है की अधिशाषी अधिकारी नगर	

पालिका देवगढ़ की प्रथम अपील सुनने का श्रवणाधिकार एव क्षेत्राधिकार इस कार्यालय को नहीं है। प्रार्थी अपीलार्थी चाहे तो नियमानुसार प्रथम अपील अध्यक्ष नगर पालिका देवगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर चाही गई सूचना के लिये अनुतोष प्राप्त करे। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द व अपीलार्थी को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमन्द

जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)